

सा/सिमा/रीवा/ख-श/2017/2840

न्यायालय श्री मान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल सर्किल कोर्ट रीवा



प्रदीप कुमार तनय दीनानाथ पटेल सा0 बंजारी तह0 गुड जिला रीवा म0प्र0

— निगरानीकर्ता

बनाम

1- अरुण कुमार तनय कृष्ण प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम बंजारी तह0 गुड जिला रीवा म0प्र0

2- शासन म0प्र0

— गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक सर्किल गुड तह0 गुड जिला रीवा म0प्र0 पृ0क0 23अ/12/15-16 आदेश दिनांक 03-07-2017

अपील अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य यह है कि गैर निगरानीकर्ता क0 1 अरुण कुमार तनय कृष्ण प्रसाद द्वारा ग्राम बंजारी स्थित आराजी ख0क0 348 रकवा 0.190 हे0 का सीमांकन कराये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक सर्किल गुड के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया राजस्व निरीक्षक सर्किल गुड द्वारा पटवारी हल्का बंजारी को विधिवत सीमांकन किये जाने का आदेश दिया पटवारी हल्का बंजारी द्वारा सीमांकन के समय उपस्थित होने के लिये निगरानीकर्ता को कोई सूचना नहीं दी जबकि निगरानीकर्ता सीमांकन भूमि का सरहदी कास्तकार है सीमांकन की कार्यवाही भी बिना मुस्तकिल सीमा चिन्ह से पैमाइस आरम्भ करते हुये की गई यानी पटवारी हल्का द्वारा मनमानी तरीके पर सीमांकन नियमों के प्रतिकूल सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक सर्किल गुड के समक्ष प्रेषित किया राजस्व निरीक्षक महोदय, ने भी सीमांकन में की गई अनियमितता एवं वैधानिकता पर विचार न करते हुये पटवारी हल्का बंजारी द्वारा किये जाने सीमांकन को प्रमाणित करने का आदेश दिया जिससे प्रमाणीकरण आदेश से परिवेदित होकर

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

301-

श्री श्री सी.जी. मिश्रा
द्वारा पेशा/ 23-8-17



(71)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 2840

जिला-रीवा

प्रदीप कुमार पटेल / अरुण कुमार मिश्रा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी0पी0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, सर्किल गुढ़, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 23/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के प्रकारानुसार अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा) सदस्य</p> <p style="text-align: left;"></p>	